न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 तारीख फैसला

135 / 2021 30.9.22

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरविन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– बदी बाई उर्फ राजेश मीणा, पुत्री भेरूलाल जी , पत्नी राजेन्द्र कुमार जी जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद हाल मकान नं0 136 महावीर नगर II कोटा जिला कोटा।

(वादिनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 153 की 0.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 160 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 की 3.35 हेक्टर , खसरा नम्बर 558 / 28 की 0.43 हेक्टर कुल चार किता की 5.80 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिनी सहखातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी 2074–2077 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादिनी के पिता भेरूलाल जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। भेरूलाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादिनी का नाम सहवन से घर का नाम बद्रीबाई दर्ज हो गया। जो गलत है।

यह कि वादिनी का नाम राजेश मीणा है। निर्वाचन आयोग द्वारा आईडी कार्ड , तथा आधार कार्ड व राशनकार्ड में राजेश मीणा दर्ज है। इस प्रकार बद्रीबाई व राजेश मीणा एक ही महिला का नाम है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम राजेश मीणा के स्थान पर बद्री बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसके कारण वादिनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। वर्तमान में भी वादिनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नही हो रही है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम बद्री बाई पुत्री भेरूलाल के स्थान पर राजेश मीणा पुत्री भेरूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादिनी ने निवेदन किया है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 153 की 0.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 160 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 की 3.35 हेक्टर , खसरा नम्बर 558/28 की 0.43 हेक्टर कुल चार किता की 5.80 हेक्टर भूमि में वादिनी का नाम रेवडी बाई पुत्री सूरजमल के स्थान पर बादाम बाई पुत्री सूरजमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में रेवडी बाई व बादाम बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है।

वादिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड का का अवलोकन करने पर वादिनी एवं सहखातेदारान के मध्य विभाजन हो जाने से राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम बिसलाई के खसरा नम्बर 609/447 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 613/558 की 0.11 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 617/153 की 0.43 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हेक्टर में वादिनी का 1/2 हिस्सा में वादिनी का नाम बद्रीबाई पुत्री भेरूलाल के स्थान पर राजेश पुत्री भेरूलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम बिसलाई के खसरा नम्बर 609/447 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 613/558 की 0.11 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 617/153 की 0.43 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हेक्टर में वादिनी का नाम बद्री बाई पुत्री भेरूलाल के स्थान पर राजेश पुत्री भेरूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)